सं. 5/1/2003-पी और पी डब्ल्यू (ई)

FAX : 011-301[illegible]2 (N.B.)
011-30131[illegible] (E.O.)
011-460466[illegible] (L.N.B.)
011-[illegible] ([illegible]g. Div.)
011-4381230 ([illegible]E.S..B.)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग
DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONERS WELFARE
नई दिल्ली
NEW DELHI

दिनांक 8 अक्टूबर, 2003

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- अंशदायी भविष्य निधि/राज्य रेलवे भविष्य निधि सेवानिवृत्तों के निःशक्त बच्चों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान की मंजूरी ।

मुझे, इस विभाग के दिनांक 16 दिसम्बर, 1997 के का. ज्ञा. सं. 45/52/97-पी. एण्ड पी. डब्ल्यू (ई) का हवाला देने का निदेश हुआ है, जिसमें अंशदायी भविष्य निधि सेवानिवृत्तों और उनके परिवारों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान की दरों को संशोधित किया गया था । कुछेक ने संशय किया है कि क्या अंशदायी भविष्य निधि/राज्य रेलवे भविष्य निधि के निःशक्त बच्चे, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत सरकारी कर्मचारियों के निःशक्त बच्चों के समान जीवनपर्यन्त अनुग्रहपूर्वक भुगतान पाने के हकदार होंगे ?

2. इस विभाग के दिनांक 13-6-1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या सं. 4/1/87-पी. एण्ड पी. डब्ल्यू (पी.आई.सी.) के पैरा 3 के उप पैरा (4) में निहित आदेशों की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिसके अनुसार के.सि.से.(पेंशन) 1972 के तहत कुटुम्ब पेंशन की पात्रता निर्धारण के अन्य उपबंधों का यद्यपि पूर्ववर्ती उप पैरों में विशेष उल्लेख नहीं है, फिर भी उक्त आदेशों के तहत अनुग्रहपूर्वक भुगतान की मंजूरी को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ आवेदन कर सकेंगे । दिनांक 16-12-1997 के का.ज्ञा. में निहित आदेशों को अनुक्रम में दिनांक 13-6-1988 के का.ज्ञा. में निहित आदेशों का जहाँ कहीं संशोधन अपेक्षित था, का अधिक्रमण न करते हुए, जारी किया गया है । यह स्पष्ट किया जाता है कि अंशदायी भविष्य निधि/राज्य रेलवे भविष्य निधि सेवानिवृत्तों के शारीरिक या मानसिक निःशक्त बच्चे, के.सि.से.(पेंशन) नियम 1972 के नियम 54 और रेलवे कर्मचारियों पर लागू तद्नुरूप नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों के ऐसे बच्चों के लिए यथानिर्धारित समान शर्तों पर जीवनपर्यन्त अनुग्रहपूर्वक भुगतान लाभ के हकदार होंगे ।

3. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 2.9.2003 की उनकी अ. टि. सं. 5713/जे.एस.(का.)/03 में दी गई सहमति से जारी किया जा रहा है ।

(हस्ताक्षर)
(पी.सी. मोहन्ती)
निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
(मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपिः- (संलग्न सूची के अनुसार)।